कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्याः 4918/प्राविधिक/परावर्ती टेप/2017 दिनांक 28 जुलाई, 2017

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
समस्त सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–104 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसार परावर्ती टेप लगाये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए, अवगत कराना है कि इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1547/प्राविधिक/परावर्ती टेप/2015 दिनांक 12–05–2015 के अन्तर्गत केन्द्रीय मोटरयान निमयावली, 1989 के नियम 126 में विहित प्रोटोटाईप टेस्टिंग एजेंसी से अनुमोदित परावर्ती टेप निर्माताओं को राज्य में विक्रय हेतु अधिकृत किये जाने के लिए मार्गदर्शक बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत समय–समय पर परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा कतिपय परावर्ती टेप निर्माताओं को राज्य में टेप के विक्रय हेतु अधिकृत किया जाता रहा है।

इस सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में लाया गया है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्राविधानों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालयों में कतिपय भ्रांतियाँ है। यथा–टेप निर्माता द्वारा टेप का विक्रय एवं वाहनों पर लगाये जाने का कार्य कहां किया जाना है, सम्बन्धित निर्माता के अधिकृत डीलर द्वारा क्या प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है, आदि। उक्त भ्रांतियों के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1547/प्राविधिक/परावर्ती टेप/2015 दिनांक 12–05–2015 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् स्पष्टीकरण/निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1– केन्द्रीय मोटरयान निमयावली, 1989 के नियम 104 के प्राविधानों का अनुपालन कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में किसी एक निर्माता को अधिकृत नहीं किया जाना है, अपितु जो भी टेप निर्माता नियम 126 में विहित प्रोटोटाईप टेस्टिंग एजेंसी से अनुमोदित है, राज्य में परावर्ती टेप का विक्रय कर सकता है।

2– उपरोक्तानुसार अधिकृत निर्माता द्वारा विभिन्न जनपदों में वाहनों पर परावर्ती टेप लगाये जाने हेतु अपने डीलर नियुक्त किये जायेगें और उक्त डीलर द्वारा अपनी दुकान/कार्यशाला में ही वाहनों पर उक्त टेप लगायी जायेगी। इस कार्य हेतु किसी भी परिवहन कार्यालय अथवा चैकपोस्ट पर कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

3– सम्बन्धित निर्माता द्वारा ऐसे अधिकृत डीलर का जनपदवार विवरण परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

4– किसी वाहन स्वामी के द्वारा अपने वाहन पर किसी भी निर्माता (जो नियम 126 के अन्तर्गत अनुमोदित हो) की टेप लगवायी जा सकती है। यदि वाहन स्वामी द्वारा राज्य में अधिकृत निर्माता की टेप लगायी जाती है, तो सम्बन्धित डीलर द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–14 (घ) में विहित प्रारूप में 03 प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति डीलर के पास तथा 02 प्रतियां

वाहन स्वामी को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त में से 01 प्रति पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में सम्बन्धित वाहन की पत्रावली में संलग्न की जायेगी।

5— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई वाहन स्वामी किसी अन्य जनपद अथवा अन्य राज्य के डीलर/निर्माता से निर्धारित मानकों की टेप लगाकर वाहन फिटनेस अथवा अन्य कार्य हेतु प्रस्तुत करता है, तो उसे स्वीकार किया जायेगा।

6— कार्यालय ज्ञाप में स्पष्ट व्यवस्था है कि राज्य में वाहनों के मॉडल एप्रूवल की भांति केवल निर्माता को ही अधिकृत किया जाना है, न कि प्रत्येक डीलर को पृथक–पृथक अधिकृत किया जाना है। इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप में विहित अधिकारिता की वैधता 02 वर्ष को भी आंशिक रूप से शिथिल करते हुए, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विहित प्रोटोटाईप टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की वैधता के अधीन एक बारीय किया जाता है।

7— सम्बन्धित डीलर द्वारा निर्धारित आकार/निर्धारित मानक से निम्न स्तर की कोई भी टेप वाहनों पर चस्पा नहीं की जायेगी। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित टेप का सत्यापन निर्माता/डीलर के व्यय पर प्रोटोटाईप एजेन्सी से कराया जा सकता है।

8— प्रत्येक निर्माता द्वारा नियुक्त किये गये डीलर द्वारा प्रतिमाह लगायी गयी टेप की सूची, जिसमें वाहन का पंजीयन नम्बर, टेप का आकार/माप स्पष्ट अंकित होगी, अगले माह की 05 तारीख तक सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।

9— संभाग/उपसंभाग में तैनात संभागीय/सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समय–समय पर आपूर्तिकर्ता डीलर की कार्यशाला/दुकान का निरीक्षण किया जाएगा और तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

10— किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मानक के विपरीत रिफलैक्टिव टेप लगाये जाने की स्थिति में अनुमोदन को निरस्त कर दिया जायेगा और मैन्यूफैक्चरर /डीलर द्वारा फिटमेन्ट सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— परिवहन विभाग की वैबसाईट।
3— सम्बन्धित निर्माता।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।